प्रेस नोट
19/06/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने शाइन सिटी धोखाधड़ी धन-शोधन मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष दिनांक 24.04.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 10.06.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 प्राथमिकियों के आधार पर राशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के विरुद्ध जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियों को बनाया और रियल एस्टेट क्षेत्र और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड योजना में जनता से धन एकत्र किया और उसके बाद धन का पथांतरण किया। ईडी की जांच ने निधि चिह्न अभिज्ञात किए और यह पाया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को कमीशन/रॉयल्टी राशि की आड़ में विभिन्न निदेशकों/प्रमोटरों/सहयोगियों और समूह कंपनियों को हस्तांतरित किया गया। इस तरह से पथांतरण की गई धनराशि का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। ईडी की जांच में अब तक 128 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्तियों की पहचान की गई है और उन्हें पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। धन-शोधन में निदेशकों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की भूमिका स्थापित की गई है।

इससे पहले ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली थी। तलाशी अभियान के परिणाम-स्वरूप धन-शोधन के कृत्य में कुछ व्यक्तियों की निरंतर संलिप्तता संकेती कई डिजिटल डिवाइस तथा दस्तावेज बरामद करके जब्त किए गए हैं। ईडी ने श्रीमती शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उद्धव सिंह, आशिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव और श्रीमती मीरा श्रीवास्तव नाम के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में धन-शोधन के अपराध में उनकी संलिप्तता का पता चला।

ईडी ने अब तक आसिफ नसीम, राशिद नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती मीरा श्रीवास्तव और 11 शाइन सिटी समूह कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है।